न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 39/2017

एकम उम्र 6 वर्ष पुत्री अवतार सिंह नाबालिग जरिये कुदरलि वली माता किरण कमल उम्र 28 वर्ष पत्नी अवतार सिंह जाति जटसिख साकिन वार्ड नं. 24 मण्डी पीलीबंगा हाल आबाद हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

––प्रार्थिया

–:बनाम:–

1. अवतार सिंह
2. सुखचौन सिंह
3. बलतेज सिंह

(1 से 3) पिसरान सुखदेव सिंह जाति जटसिख साकिन वार्ड नं. 24 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

4. मनजोत सिंह पिसरान राजविन्द्र कौर पत्नी गुरतेज सिंह जाति जटसिख साकिन 20 एलएम लुणियां तहसील अनुपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा।

–– अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.का.अधि. बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा ::–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री मदनलाल पारीक –– प्रार्थी
2. राजपैरोकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा। –– अप्रार्थी सं. 5

–:: निर्णय :–

दिनांक:– 06-09-24

प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.ए. जरिये अधिवक्ता श्री मदनलाल पारीक द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया गया है। यह कि उक्त अनवान का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत चुका प्रार्थीगण को कामयाबी की पूर्ण सम्भावना है। यह कि जहां तक प्रार्थना पत्र हाजा का सम्बंध है। तहसील पीलीबंगा के चक 9 एनएसडब्ल्यू के प.नं. 32/344 किला नं. 1 ता 25/2 की 6.199 हैक. कमांड अनकमांड भूमि में प्रार्थीया के पिता अवतार सिंह का 1.550 हैक. हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चित्रप्रति जमाबंदी सलग्न चक 9 एनएसडब्ल्यू सं. 2072 से 2075 सलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित पिता अवतार सिंह की कृषि भूमि प्रार्थीया के दादा व दादी के फौत होने के बाद विरास्तन में प्राप्त हुई है। यह भूमि प्रार्थीया की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थीया का जन्म से हक निहित है। इसलिये पिता अप्रार्थी सं.1 अवतार सिंह के नाम दर्ज 1.550 हैक. भूमि में प्रार्थीया का 1/2 हिस्सा का हक निहित है। जिसकी प्रार्थीया खातेदारी घोषणा पाने की हकदार है।

यह कि प्रशनगत भूमि का अभी विधिवत खाता [illegible] नही हुआ है। यह भूमि सयुक्त खाता की है। जिस पर प्रत्येक सह [illegible] ईन्च पर कब्जा काश्त है। जब तक इस भूमि का विभाजन नहीं होता [illegible] के मध् य सीव [illegible] व रकमराज को लेकर तनाजा बना रहता है। इसलिये प्रार्थीया अपने हिस्सा की कृषि [illegible] अच्छी मंदी के हिसाब से खाता अन्य अप्रार्थीगण से तकसीम करवाकर रकम राज अलग कायम करवाने की हकदार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.09.09 17:12:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

यह कि अप्रार्थी सं. 1 जो प्रार्थीया का पिता है। वह पटवारी के पद पर कार्यरत है। प्रार्थीया के पिता व माता शादी होने के बाद से ही पति पत्नी का सम्बंध ठीक नही रहा। अप्रार्थी सं.1 अत्यधिक शराब का सेवन करता है व कई बार नौकरी से निकाला भी जा चुका है। प्रार्थीया व प्रार्थीया की माता के साथ हर समय लड़ाई झगड़ा करता है। उन्होने हम दोनो को घर से निकाल दिया है। इसलिये अब 2 वर्षो से प्रार्थीया व प्रार्थीया की माता अपने ननिहाल व पीहर अपने पिता व नाना गुरबक्श सिंह के पास गांव हरीपुरा रह रही है जहां प्रार्थीया स्कुल में अध्ययनरत है व प्रार्थीया की माता बी.एड. की पढ़ाई कर रही है। हम दोनो के पास इस भूमि के अलावा अन्य कोई भरण पोषण व आय का कोई साधन नही है। अप्रार्थी सं.1 नशे का आदि है। इसलिये नशे से वशीभूत होकर व अन्य लोगो के नाजायज दबाब में आकर इस भूमि को हर तरह से खुर्द बुर्द व रहन बैय करने पर आमाद है। यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो गया तो प्रार्थीया को अपूर्णीय व अपरिमेय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष में है। इसलिये प्रार्थीया विरूद्व अप्रार्थीगण इस आश्य की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है कि वे प्रशनगत भूमि बाबत प्रार्थीया के हको के विपरीत कोई दस्तावेज निष्पादित नही करे तथा इस भूमि को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला वाद विरूद्व अप्रार्थीगण इस अमर की जारी की जावे कि तहसील पीलीबंगा के चक 9 एनएसडब्ल्यू के प.नं. 32/344 किला नं. 1 ता 25/2 की 6.199 हैक्. कमांड अनकमांड खातेदारी भूमि में अप्रार्थी सं.1 अवतार सिंह के नाम दर्ज 1.550 हैक्. भूमि बाबत प्रार्थीया के हको के विपरीत कोई दस्तावेज निष्पादित एवं पंजीबद्ध न करे तथा इस कृषि भूमि को रहन बैय व अन्य प्रकार से मुन्तकिल न करे।

पत्रावली प्रस्तुत होने पर सरिस्ता की रिपोर्ट के आधार पर दर्ज रजिस्टर किया गया है अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किया जा चुका है। वाद पत्र में अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। प्रार्थना पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया पत्रावली पर अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। प्रकरण में अस्थाई व्यादेश जारी किये हुये 7 वर्ष से अधिक से समय हो चुका है। हस्तगत प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 आरटीए में उपलब्ध उपचार/अनुतोष में भूमि का दुर्व्ययन, हानि या अंतरित किये जाने की स्थिति प्रकरण में उजागर नहीं होती है और न ही मामला सुविधा व संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है इसलिए अस्थाई व्यादेश दिनांक को अनवरत किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है लिहाजा उक्त अस्थाई व्यादेश दिनांक 26.05.2017 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। पत्रावली नम्बर शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 06-09-24 सरे ईजलास पढ़कर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Amita Bishnoi
Date: 2024.09.09 17:42:05 IST
Reason: SelfAttested

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा